न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/6018/2004/धौलपुर

दूदीराम पुत्र चन्दनसिंह जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सामौर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1. मु0 रामवती बेवा सोरन
2. अशोक पुत्र सोरन
3. मोहनसिंह पुत्र दुलीचंद
4. सीताराम पुत्र दुलीचंद
5. वृंदावन पुत्र सोरन

–समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम चंगोरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर

.....प्रत्यर्थीगण/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री जगदीश प्रसाद, अधिवक्तागण, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.....

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा अपील सं. 106/2002 में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–09–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के समक्ष प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने एक वाद बाबत स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती इन्द्राज ग्राम चगौंरा तहसील राजाखेडा स्थित विवादित आराजियात हाल खसरा संख्या 113 जो गत खसरा संख्या 37/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से बना है तथा आराजी हाल खसरा 112 जो गत खसरा संख्या 36 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा से बनना अंकित करते हुए प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अंकन किया कि बंदोबस्त विभाग ने बिना अधिकार एवं किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के गत खसरा संख्या 37/2 के पूरब दिशा का 4 बिस्वा रकबा गत खसरा संख्या 36 के साथ मिलाकर उसका नवीन खसरा संख्या 112 कायम कर दिया और उसे प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया। उक्त वाद का प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि गत खसरा संख्या 37/2 का कोई रकबा खसरा संख्या 112 में नहीं मिलाया गया। उक्त वाद व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम कर तनकी संख्या 1 व 2 को वादी के विरूद्ध निर्णित करते हुए आज्ञा दिनांक 03-08-2002 द्वारा वाद/वादी खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-धौलपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-09-2004 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03-08-2002 को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-09-2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट/प्रतिवादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कहना है कि वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा रेकार्ड जमाबंदी व मिलान

क्षेत्रफल पेश किया गया, जिसमें गत खसरा संख्या 37/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में से ही वर्तमान खसरा संख्या 112 में शामिल होना बताया, जो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जिसके वर्तमान नम्बर 113 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बना है जो इस नम्बर का शेष रकबा किस नम्बर में मिला दिया गया, इस बाबत वादी द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं किया गया है। उनका कहना है कि उनके द्वारा 1980 में पंजीकृत विक्रय विलेख से आराजी को क्रय किया एवं यह अधिक रकबा किस खसरा नम्बर व रकबा में मिला है पता नहीं। इसके अतिरिक्त जमाबंदी सम्वत 2022 में बंदोबस्त विभाग द्वारा यह कार्यवाही की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा बंदोबस्त की कार्यवाही सम्पादित होने के उपरान्त आलोच्य कार्यवाही करीब 31–32 वर्ष बाद विलम्ब से की है, इससे पहले उन्होंने इस आराजी बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा। इस कारण वादी का दावा मियाद बाहर था एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा पेश अपील भी मियाद बाहर थी, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त प्रकट नहीं किया। उनका तर्क है कि आराजी को उनके द्वारा क्रय किया गया है, जिसका रेकार्ड में अंकन हो चुका है तथा वह आराजी के अजनबी क्रेता है, इस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा अजनबी क्रेता के विरूद्ध निर्णय पारित कर अनियमितता की है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–09–2004 को निरस्त कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–08–2002 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधिसम्मत होना बताया है तथा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध किया है। उनका कथन है कि रेस्पोर्डेन्ट का नये नाप से रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा होना चाहिए, जबकि 1 बीघा 14 बिस्वा रकबा आया है। उनका आगे कहना है कि प्रतिवादी का खसरा

संख्या 37 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा है जिसका हाल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा दिया गया है। वादी का 1 बीघा 3 बिस्वा रकबा है और उसको 1 बीघा 3 बिस्वा ही दिया गया। जबकि नये नाप में 19 बिस्वा होना चाहिए। उनका आगे कहना है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 113 गत खसरा संख्या 37/2 से बना है जो कि दुलीचंद की खातेदारी में था तथा वादी उसका वारिस है। प्रतिवादी की खातेदारी के गत खसरा संख्या 36 का हाल खसरा संख्या 112 बना है। बंदोबस्त से पूर्व का ही इन्द्राज था, किन्तु बंदोबस्त ने 4 बिस्वा पूर्व दिशा का खसरा संख्या 36 के साथ मिलाकर हाल खसरा संख्या 112 बना दिया। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने के कारण उसमें इस द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या बंदोबस्त विभाग ने बिना अधिकार एवं किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के गत खसरा संख्या 37/2 के पूरब दिशा का 4 बिस्वा रकबा गत खसरा संख्या 36 के साथ मिलाकर उसका नवीन खसरा संख्या 112 कायम कर दिया और उसे प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया ?

8. हस्तगत प्रकरण में वादी ने अपना वाद विवादित आराजियात के बाबत स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा तथा दुरूस्ती इन्द्राज प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने उक्त वाद में अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम कर तनकी संख्या 1 व 2 को वादी के विरूद्ध निर्णित करते हुए आज्ञा दिनांक 03-08-2002 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। हमारे द्वारा उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया, जिसके अनुसार यह पाया जाता है कि नकल

जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा संख्या 37/2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में से ही वर्तमान खसरा संख्या 112 शामिल होना प्रकट होता है। इसका कारण यह है कि शेष रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा जिसमें कि वर्तमान खसरा संख्या 113 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बना है तो इस नम्बर का शेष रकबा किस नम्बर में मिला दिया गया है, इस बाबत वादी ने किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। अतः वादी का यह कथन कि शेष रकबा 4 बिस्वा खसरा संख्या 112 में मिला दिया गया है, मानने योग्य नहीं है। सम्पूर्ण उपलब्ध रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि गत खसरा संख्या 37/2 का कोई रकबा खसरा संख्या 112 में नहीं मिलाया गया है। वादी ने अपना वाद असंगत आधारों को अभिवचित करते हुए पेश किया गया है, जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते। तदनुसार वादी के मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पायी जाती है।

9. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद से बाधित प्रथम अपील पेश की तथा अपील के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा करने बाबत पेश किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील में मियाद के बिन्दु को अनिर्णित रखकर गुणावगुण पर विवेचित किया है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के समक्ष भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत समयावधि को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित था। उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय प्रदान किए बगैर प्रकरण में कोई भी निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधिक विनिश्चय 1998 डीएनजे राज. पेज 767 अवलोकनीय है, जिसमें निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> "Limitation Act, 1976 - Secs. 3&5 - In every suit, appeal and petition if limitation is prescribed then the question of limitation is to be considered first even if the dispute is not raised- In the present cases the application u/s 5 for condonation of delay was not disposed and the case was finally decided- The impugned order is set aside and case sent back for decision of the condonation of delay."

विधायिका की उक्त भावना तथा उपलब्ध रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत अपीलीय न्यायालय ने जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किया है, जिनसे हम सहमत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील में जो विवेचन किया है उनका कोई आधार उपलब्ध रेकार्ड से नहीं पाया जाता है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को उपलब्ध रेकार्ड के परे जाकर पारित किए जाने के कारण उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण उसे अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील में सारभूत तथ्य उपलब्ध होने के कारण उसे स्वीकार किया जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायसंगत है।

11. अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–09–2004 को खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–08–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य